

8/9/18

कार्यालय जिलाधिकारी मऊ।

दिनांक : 4 सितम्बर, 2018


पत्रांक 415/डी0एल0आर0सी0-मऊ

विषय :- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

अधिसासी अभियन्ता/  
परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद  
आज़मगढ़।

डायरी नं०-1338  
क्रमांक स०-PMAY/mau  
दिनांक-2-9-18

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 644/पी0एम0ए0वाई0/मऊ दिनांक 23.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश संख्या 410/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 30.08.2018 जिलाधिकारी द्वारा ग्राम बडुआगोदाम तहसील सदर जनपद मऊ में स्थित गाटा संख्या 658 रकबा 1.162 हे० में से रकबा 0.640 हे० भूमि, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु पुनर्ग्रहण आदेश पारित कर दिया गया है। जिसका वर्तमान खतौनी में अमलदरामद हो चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु खतौनी की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।  
संलग्नक : यथोपरि।

  
अपर जिलाधिकारी  
मऊ।

पत्रांक / तददिनांक।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, आज़मगढ़ मण्डल आज़मगढ़ महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी  
मऊ।

श्री लाल जी यादव (A.E.)-

सम्बन्धित के सम्पर्क कर नजारी नकशा  
माप्त कर व सर्वे कराकर ले-आउट तैयार  
कराये जाने की कृपिया दी कराये।

MCH  
12-09-18  
(ECLPM)

कार्यालय अिलाधिकारी मऊ।

डायरी सं०- 4337

क्रमांक सं०- 517/18

दिनांक- 30 अगस्त, 2018

पत्रांक

/डी०एल०आर०सी०/2018-19

दिनांक

30 अगस्त, 2018

**आदेश**

उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश सं० 32/744/ए०-1-2016 - 23 (5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 का आदेशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (विभागीय अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा-50 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता विधायक 2016 के नियम-50 द्वारा प्राप्त शर्तों का पालन करने के तथा आराजीय अभिलेख सं० 741/ए०-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून 2016 एवं शासनादेश सं० 152/आर०-4-2018-137एन/2013 दिनांक 17 जुलाई 2016 का प्रयोग करते हुए मैं प्रकाश मिश्र निम्नलिखित मर संहिता सं० 1/2018 के अन्तर्गत मर को जो अब तक राजस्व संहिता द्वारा प्रदेश दिनांक 17 जुलाई 2016 के अनुसार मर के स्थान पर मर के स्थान पर प्राप्त पत्रावली/स्थानीय प्रतिक्रिया के प्रकाशन में निर्दिष्ट थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

**अनुसूची**

क्र.सं.	जिला	तहसील	परगना	संव.	मादा संख्या	वे०(से०)	भूमि श्रेणी/सर्वे	वै.	विवरण (एन०एन० दिनांक दिनांक 03 जून 2016 की धारा 50 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	मऊ	सदर	मुठवादा मोहल्ला	दहुआ मोहल्ला	558 गि०	0.610	श्रेणी-5(ग) खस, कृषि भूमि बंज		एन०एन० दिनांक 03 जून 2016 की धारा 50 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत मर के स्थान पर प्राप्त पत्रावली/स्थानीय प्रतिक्रिया के प्रकाशन में निर्दिष्ट थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

*(Signature)*  
अिलाधिकारी  
मऊ

पत्रांक 41019/डी०एल०आर०सी०/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-5, लखनऊ।
3. आयुक्त आंचलिक मण्डल आरुमण्ड।
4. उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद मऊ।
5. अधिशहसी अभियन्ता/परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई आरुमण्ड।
6. बन्दोबस्त अधिकारी तकबन्दी मऊ को इस आशय से कि अधिलेख में अपतदराज करकर अपतदराज की एक प्रती वर्तमान शर्तों के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

अिलाधिकारी  
मऊ।

श्री लालजी यादव (AE)-


श्री अशोक कुमार मिश्रा (क्राये)

*(Signature)*  
06-09-18  
(ECLM)


अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आजमगढ़, के कार्यालय पत्र सं० 69/प्रधानमंत्री/मऊ दि० 23.01.2019 एवं कार्यालय पत्र सं० 77/प्रधानमंत्री आवास योजना मऊ दिनांक 25.01.2019 एवं कार्यालय पत्र सं० 162/ प्रधानमंत्री आवास योजना मऊ दिनांक 16.02.2019 पर भारत सरकार/उ०प्र० सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना, (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) के अन्तर्गत तहसील-सदर के मौजा-बहुआ गोदाम, के आराजी नं० 858, रकबा 0.64 हे० संशोधित आराजी नं० 1349 शासन द्वारा स्वीकृत मऊनाथ भंजन, महायोजना-2021 में भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन करने हेतु दि० 22.02.2019 को परिचालन के माध्यम से नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आजमगढ़, के कार्यालय पत्र सं० 69/प्रधानमंत्री/मऊ दि० 23.01.2019 एवं कार्यालय पत्र सं० 77/प्रधानमंत्री आवास योजना मऊ दिनांक 25.01.2019 एवं कार्यालय पत्र सं० 162/ प्रधानमंत्री आवास योजना मऊ दिनांक 16.02.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार/उ०प्र० सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना, (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) के अन्तर्गत जनपद- मऊ में 250 नग भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आदेश सं०-410/डी०एल०आर०सी० दिनांक 30.08.2018 द्वारा मौजा-बहुआ गोदाम, तहसील-सदर जनपद-मऊ में स्थित गाटा सं० 658, रकबा 0.640 हेक्टेयर वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उक्त गाटा सं० 658 के स्थान पर नया गाटा सं० 1349क, रकबा 0.640 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवंटित की गयी है जिसका शासन द्वारा स्वीकृत मऊनाथ भंजन महायोजना-2021 में कृषि भू-उपयोग है अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आजमगढ़, द्वारा प्ररनगत स्थल का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।


अतः प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवंटित मौजा-बहुआ गोदाम, तहसील-सदर जनपद-मऊ में स्थित गाटा सं० 1349क, रकबा 0.640 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग शासन द्वारा स्वीकृत मऊनाथ भंजन महायोजना-2021 में कृषि से आवासीय में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।


  
सहस्रयुक्त नियोजक  
आजमगढ़ सममागीय

नियोजन खण्ड

  
06/04/19  
अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद-मऊ

  
अधिशारी अभियन्ता  
जल निगम मऊ

  
अधिशारी अभियन्ता  
लो०नि०वि० मऊ

अमिता  
अध्यक्ष

जिला पंचायत-मऊ

  
अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी

# भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN  
RUPEES

₹. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पृष्ठ-4

52AD 032570

स्थान का नाम- बडवा गोदाम, तहसील-सदर जनपद-मऊ चौहददी-

पूरब- अम्बेडकर पार्क ।  
पश्चिम- NH-29, मऊ - गाजीपुर रोड  
उत्तर- फेकू आदि ।  
दक्षिण- विनोद आदि ।



राजेश  
कुमार  
सह  
उप  
प्रकार  
संख्या  
0415  
04/18  
मऊ  
मऊ



उत्तर  
प्रदेश  
मऊ  
जनपद  
सदर  
तहसील  
मऊ  
मऊ

मू-खण्ड का रेखाचित्र इस विलेख के साथ संलग्न-

प्रधान गवर्णर

पद मऊ

द्वितीय गमा-

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से और उनके द्वारा प्राधिकृत से अधिकारी पददाता

पददेदार (असंक्रमणीय पददेदार) (संक्रमणीय पददेदार) की ओर व उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नाम-  
पदनाम-  
हस्ताक्षर-  
दिनांक-  
स्थल-

*(Signature)*  
जिलाधिकारी  
मऊ

नाम- महेंद्र कुमार  
पदनाम- अधिरासी अभियंता  
हस्ताक्षर- *(Signature)*  
दिनांक-  
स्थल-

उपरोक्त में से जो शर्त लागू न हो उन्हें काट दिया जाय अथवा अंकित कर दिया जाए कि शर्त संख्या लागू नहीं है-आजमगढ़  
उपरोक्त आवास एवं निवास परिसर  
बनारस, आजमगढ़

जनसुभासिंहलेठ  
- 95 आगोसिह  
27-10-2018

श्री जय शंकर सिंह  
ज्जोरानि 95 आगोसिह  
27-10-2018

*(Signature)*  
27/10/18

*(Signature)*  
27/10/18  
(डा. विवेक लोहर)  
ज्जोरानि 95 आगोसिह  
जनसुभासिंहलेठ  
मऊ

क्र. 17  
10

अ. नि. शा. नि. का. नि. व. ले. 9. 24/01/2019 को पारित

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5613 के पृष्ठ 79 से 80 तक का पंजीयन  
513 पर दिनांक 24/01/2019 को रजिस्ट्रीकरण ला. नं. 110, कलेक्ट्री कचहरी  
आजमगढ़

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

nl  
नन्द लाल  
उप निबंधक : सदर  
मऊ  
24/01/2019



राज्यीय विद्यार्थी  
संस्थान-देवरिया जिला  
मऊ जिला के अंतर्गत  
मऊ जिला